जलवायु परविर्तन के प्रतकिूल प्रभावों के खलिाफ अधकिार जीवन और समानता के अधकिार का हसि्सा: SC

चर्चा में क्यों?

एक महत्त्वपूर्ण फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने **"जलवायु परविर्तन के प्रतकिूल प्रभावों के खलिाफ अधकिार"** को शामलि करने के लयि **अनुच्छेद 14 और 21** के दायरे का वसि्तार कयिा है।

मुख्य बदिु:

- पीठ [ग्रेट इंडयिन बस्टर्ड (GIB)]() को वदि्युत पारेषण लाइनों के कारण अपना आवास स्थान खोने से बचाने की याचकिा पर सुनवाई कर रही थी।
    - सर्वोच्च न्यायालय के अप्रैल 2021 के आदेश ने GIB के संरक्षण हेतु राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ओवरहेड ट्रांसमशिन लाइनें स्थापति करने पर प्रतबिंध लगा दयिा।
- **अनुच्छेद 21** जीवन और व्यक्तगित स्वतंत्रता के अधकिार को मान्यता देता है जबकि अनुच्छेद 14 इंगति करता है कि सभी व्यक्तयिों को कानून के समक्ष समानता एवं कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा।
    - ये अनुच्छेद **स्वच्छ पर्यावरण के अधकिार और जलवायु परविर्तन के प्रतकिूल प्रभावों** के खलिाफ अधकिार के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।
- जलवायु परविर्तन के प्रतकिूल प्रभावों को पहचानने और इससे नपिटने की कोशशि करने वाली सरकारी नीतियों एवं नयिमों व वनियिमों के बावजूद, भारत में जलवायु परविर्तन तथा संबंधति चतिाओं से संबंधति कोई एकल या व्यापक कानून नहीं है।
- पर्यावरणीय समस्याओं को संवैधानकि बनाने के सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण नरि्णय:
    - **एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ, 1996:** सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दयिा कि जीवन के लयि आवश्यक बुनयिादी पर्यावरणीय तत्त्वों जैसे वायु, जल और मट्टिी में कोई भी गड़बड़ी जीवन के लयि खतरनाक होगी अतः इसे प्रदूषति नहीं कयिा जा सकता है।
    - **वीरेंद्र गौड़ बनाम हरयिाणा राज्य (1995):** सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दयिा कि अनुच्छेद 21 जीवन के अधकिार की रक्षा करता है और इसे गरमिा के साथ जीवन के आनंद के लयि स्वच्छता तक वसि्तारति करता है।

ग्रेट इंडयिन बस्टर्ड (GIB)

- **ग्रेट इंडयिन बस्टर्ड (Ardeotis nigriceps) राजस्थान का राजकीय पक्षी** है और भारत का सबसे **गंभीर रूप से संकटग्रस्त**
- **पक्षी** माना जाता है।
- यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है, जो चरागाह पारस्थितिकिी का प्रतनिधित्वि करती है।
- ये अधकिांशतः राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। **महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश** में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है।
    - ये प्रजाति खतरे की स्थति में है जसिके प्रमुख कारणों में ऊर्जा ट्रांसमशिन लाइनों के साथ टकराव/वदि्युत-आघात से मृत्यु (Electrocution), शकिार (वर्तमान समय में पाकसि्तान में प्रचलति), व्यापक कृषि वसि्तार के परणिामस्वरूप नवािस स्थान में परविर्तन और उसका ह्रास शामलि है।
- **सुरक्षा की स्थति:**
    - [अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लसि्ट:]() गंभीर रूप से संकटग्रस्त
    - [वन्यजीवों एवं वनस्पतयिों की लुप्तप्राय प्रजातयिों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES):]() परशिष्टि-1
    - [प्रवासी प्रजातयिों के संरक्षण पर अभसिमय (CMS):]() परशिष्टि-I
    - [वन्यजीव संरक्षण अधनियिम, 1972:]() अनुसूची-

पर्यावरण से संबंधति संवैधानकि प्रावधान

- **संवधान के अनुच्छेद 48A** में प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा
- **अनुच्छेद 51A के खंड (g) में कहा गया है कि वनों, झीलों, नदयिों और वन्यजीवों सहति प्राकृतकि पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना व जीवति प्राणयिों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरकि का कर्त्तव्य होगा**।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/right-against-adverse-effects-of-climate-change-part-of-rights-to-life-and-equality-sc